



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फ़ैक्स : 07752-221385 E-mail : cfbilaspur@rediffmail.com

क्रमांक/तक/ 1829

2016/बिलासपुर/दिनांक -14/10/2016

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं,
नोडल अधिकारी, व.सं.अ.-1980,
रायपुर, छत्तीसगढ़

विषय :- **Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation act 1980 of 112.385 Ha. of Revenue forest land for Coal Mining Regarding SECL Gevra Project. Registraion No. FP/CG/MIN/13199/2015**

संदर्भ :- आपका पत्र पृ. क्र./खनिज/2356 दिनांक 24.08.2015

—00—

विषयांकित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम-1980, के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट के अनुसार, वनमण्डलाधिकारी कटघोरा से अनुशंसा उपरांत, इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उक्त प्राप्त प्रस्ताव का इस कार्यालय के परीक्षण उपरांत, प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

1. आवेदनकर्ता महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. गोवरा तहसील कटघोरा द्वारा कोरबा जिले के कटघोरा वनमण्डल में राजस्व वन रकबा 112.385 हे. की मांग कोयला खदान विस्तार परियोजना हेतु की गई है।
2. आवेदनकर्ता द्वारा, प्रस्ताव में शासन आदेशानुसार, पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क हेतु 64,000/- रुपये जमा कराये गये हैं।
3. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.3 है एवं इसमें मिश्रित प्रजाति के वृक्ष खड़े हैं एवं वन की Site Quality - IV/B है।
4. व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि का मुख्य वन संरक्षक / वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार :-
 - (iii) प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य (कोयला खदान विस्तार परियोजना) हेतु मांग की जा रही वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी गैर वन भूमि विकल्प के रूप में उपलब्ध नहीं है।
 - (iv) व्यपवर्तन (Diversion) हेतु प्रस्तावित वन भूमि की मांग न्यूनतम है।
5. प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु, संबंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।
6. प्रकरण में प्रभावित वन भूमि के बदले में दुगने राजस्व वनभूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित किया गया है।

7. वैकल्पिक वृक्षारोपण चयनित दुग्ने बिगड़े वनभूमि की वृक्षारोपण हेतु उपयुक्ता का वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र एवं साथ ही इस दुग्ने राजस्व वनभूमि पर स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना रूपये 5,45,657/- प्रति हेक्टेयर की दर से तैयार कर संलग्न है।
8. Diversion हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र के आसपास कोई ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मुर्ति न होने संबंधी वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
9. आवेदित भूमि का NPV गणना पत्रक संलग्न है।
10. प्रस्तावित गैर वानिकी परियोजना में आवेदनकर्ता द्वारा संरक्षण अधिनियम, 1980 के नियम 3B का उल्लंघन नहीं किया है।
11. आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (Biosphere Reserve, प्राकृतिक झील/वाटर बॉडी, आदिवासी सैटलमेंट, धार्मिक स्थल) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत नहीं है। वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
12. आवेदित वन भूमि किसी उद्यान एवं किसी वन्य प्राणी अभ्यारण्य का भाग नहीं है एवं आवेदित वन भूमि की सीमा से 10 वर्ग कि.मी. की परिधि में कोई संरक्षित वन क्षेत्र नहीं है। वनमण्डलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
13. आवेदक द्वारा शासन निर्देशानुसार कुल 112.385 हे. वन भूमि की साईट क्वालिटी – IV/B एवं घनत्व 0.3 है। जिसके लिए शासन द्वारा निर्धारित दर से प्रत्याशा मूल्य (NPV) जमा करने हेतु वचन पत्र दिया है।
14. मिश्रित रोपण योजना के क्रियान्वयन हेतु आवेदनकर्ता का वचन पत्र संलग्न है।
15. आवेदित गैर वानिकी परियोजना पर पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की गई है।

अनुशंसित प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के मार्गदर्शिका सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव भारत सरकार से प्रथम चरण स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- प्रस्ताव 4 प्रतियों में।

पृ.क्र. /तक./ 1830

प्रतिलिपि :-

1. वनमण्डलाधिकारी, कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा (छ.ग.)
2. महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. गोवरा, तहसील कटघोरा, की ओर सूचनार्थ, कृपया प्रकरण का ऑनलाईन परीक्षण अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालय रायपुर में कराना सुनिश्चित करें।


 मुख्य वन संरक्षक
 बिलासपुर वृत्त बिलासपुर (छ.ग.)
 बिलासपुर, दिनांक...19/10/2018


 मुख्य वन संरक्षक
 बिलासपुर वृत्त बिलासपुर (छ.ग.)